

30.3.21

पञ्जावली पेश हुई तकील प्रार्थी उपस्थित. रागम
उगाव के क.रा. आदेश नही लिया जा सका। नारे
पञ्जावली पेश हो आदेश हेतु नियत दिनांक 15.4.21 को

15.4.21

पञ्जावली पेश हुई, तकील, प्रार्थी उपस्थित, तकील
प्रार्थी ने बहस के दौरान आराजी नं. 606 अर्मा
में आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 01 लगायत
11 की आराजी नं. 570, 575, 576, 577, 578
अर्मा में से प्रार्थी की आराजी तक 16 फीट चौड़ाई
का रास्ता कायम किये जाने की इस्तुआ की।
मैंने पञ्जावली का अवलोकन किया तथा तकील
प्रार्थी की बहस पर मकन किया तथा तहसीलदार
माण्डल की मौका विपटि का अध्ययन किया,
तहसीलदार माण्डल के द्वारा दी गई मौका विपटि
में बताया गया कि प्रार्थी की आराजी नं. 606
में वर्तमान में आने जाने हेतु वर्तमान में
566, 579/1, 579/2, व 579/3 में रास्ता बना
है एवं मौके पर रास्ता बंद नहीं है, और
मौके पर उक्त विवादित रास्ता के अलावा वर्षों
पहले आराजी नं. 570, 575, 576, 577
व 578 में होकर जाता आता रहा है, प्रार्थी
की आराजियात में आने-जाने के लिए
पहले से ही रास्ता विद्यमान है। एवं मौके
पर रास्ता बंद नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने
प्रार्थना पत्र की सिद्ध करने में असफल रहने
के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता
है। पञ्जावली फैसल सुमार होकर मन्वर से
कम हो

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

